प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 08.05.2024

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम धोखाधड़ी से कूटरचित (फर्जी) दस्तावेज तैयार कर मकान की रजिस्ट्री कर सम्पति हड़पने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 14.04.2024 को थाना साहिबाबाद पर वादी महेन्द्र सिंह प्रजापति पुत्र कुटिराम निवासी एच-401, शहीदनगर, थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा एक लिखित तहरीर की दी गयी कि कपिल प्रजापति द्वारा धोखाधड़ी से फर्जी दस्तावेज तैयार कर वादी के मकान की रजिस्ट्री कर देने के सम्बन्ध मे थाना साहिबाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। दिनांक 08.05.2024 को चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त कपिल प्रजापति पुत्र स्व0 श्री रामवीर सिंह निवासी म0 नं0 एच 401 शहीनदगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष को शहीदनगर साहिबाबाद से गिरफ्तार किया अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

कपिल प्रजापति पुत्र स्व0 श्री रामवीर सिंह निवासी म0न0 एच401 शहीनदगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम:

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गॉव मकनपुर में महिला की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल रक्तरंजित चाकू बरामद।

दिनांक 08.05.2024 को थाना इंदिरापुरम पर ग्राम मकनपुर में महिला की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। जिसमें घटना के सम्बन्ध में वादिया द्वारा बताया गया कि अभियुक्त बोबी द्वारा चाकू से वादिया की बेटी ज्योति व दामाद ललतेश तथा वादिया के परिचित एक अन्य व्यक्ति अजय पर हमला किया गया। जिसमें वादिया की बेटी ज्योति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। वादिया की लिखित तहरीर के आधार पर थाना इंदिरापुरम पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। दिनांक 08.05.2024 को थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना को कारित करने वाले अभियुक्त बोबी पुत्र कन्छी निवासी विजेन्द्र

त्यागी का मकान मकनपुर थाना इंदिरापुरम **मूल निवासी** बाल्मिकी मोहल्ला कस्बा व थाना स्याना बुलंदशहर उम्र 45 वर्ष को खोड़ा अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से रक्तरंजित आलाकत्ल चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

घटना के सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि मृतका की मां चम्पा देवी के पूर्व से बोबी नाम के व्यक्ति से मित्रता रही है। बोबी के जेल जाने के बाद उनकी मित्रता अजय नामक व्यक्ति से हो गयी थी। बोबी जेल से छुटकर आया तो उसने अजय के साथ चम्पा की मित्रता का विरोध किया तथा दबाव बनाया कि वो उसके साथ रहे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। दिनांक 07.05.2024 को चम्पा अपनी बेटी व दामाद ललतेश के साथ साई मंदिर रोड पर जा रही थी। वहां पर अजय भी साथ में था। उसी दौरान सामने से अभियुक्त बोबी आ गया तो उसे लगा कि चम्पा अभी भी अजय के साथ है। इसी कारण गुस्से में बोबी ने चाकू से चम्पा पर वार किया जो बचाव करने आयी चम्पा देवी की पुत्री के सीने मे लग गया तथा दूसरी वार चाकू से वार किया तो वह चम्पा के दामाद ललतेश के साइड में लगा गया। जिसमें वह घायल हो गया और अभियुक्त बोबी वहां से फरार हो गया। जहां अस्पताल में इलाज के दौरान चम्पा की पुत्री की मृत्यु हो गयी। जिसमें अभियुक्त बोबी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्वयाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

बोबी पुत्र कन्छी निवासी विजेन्द्र त्यागी का मकान मकनपुर थाना इंदिरापुरम **मूल निवासी** बाल्मिकी मोहल्ला कस्बा व थाना स्याना बुलंदशहर उम्र 45 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में आर्म्स एक्ट , धोखाधड़ी व मारपीट के 03 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा डबल मर्डर माँ एव बेटे की हत्या करने वाले अपराधी को किया गिरफ्तार | कब्जे से चारपाई का लकड़ी का पाए (आलाकत्ल) बरामद

दिनांक 08.05.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस को डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई कि गली न० 10 गुलाब वाटिका थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर में डबल मर्डर (माँ एव बेटे) की हत्या कर दी गयी है | थाना लोनी बॉर्डर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची तथा फील्ड यूनिट टीम को भी मौके पर बुलाया गया | मृतिका महिला यशोदा के पुत्र तथा मृतक बिजेंद्र उर्फ लाला के भाई आकाश पुत्र हरिनारायण नि० गली न० 10 गुलाब वाटिका थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया | अभियुक्त की गिरफ़्तारी के सम्बन्ध में टीम गठित की

गयी | जिसके क्रम में दिनांक 08.05.2024 को थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा समय करीब 17.00 बजे डबल मर्डर की घटना कारित करने वाले अभियुक्त मृतिका के पुत्र तथा मृतक के सगे भाई धर्मेन्द्र पुत्र हरिनारायण नि० गली न० 10 गुलाब वाटिका थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 45 वर्ष को आलाकत्ल सहित गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण – पूछताछ करने पर अभियुक्त धर्मेन्द्र ने बताया कि साहब मेरे ऊपर करीब डेढ़ लाख रूपये का कर्जा था मैंने 03 दिन पहले अपनी माँ से पैसे मांगे थे तो मेरी माँ ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया था | जिस बात से मैं कुंठित था | मेरी माँ मेरे भाइयों की तरफदारी करती थी उन्ही को पैसे देती थी मुझे एक भी पैसे की मदद नहीं करती थी | कल रात को मैंने शराब पी उसके बाद मैं अपने घर की छत से चारपाई का लकड़ी का पाया उठकर लाया और घर मे प्रथम तल पर माँ के कमरे में जाकर बेड पर सो रहे भाई तथा माँ के सिर पर लकड़ी के पाए से कई प्रहार किये और फिर छत से ही लकड़ी के पाए को बराबर में खाली प्लाट में फेक दिया | और नहा कर अपने कमरे में जाकर सो गया |

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

धर्मेन्द्र पुत्र हरिनारायण नि० गली न० 10 गुलाब वाटिका थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 45 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

चारपाई का लकड़ी का पाए (आलाकत्ल) बरामद

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरणः-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी बोर्डर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बोर्डर गा0बाद पुलिस टीम